

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: सतीश कुमार, R.T.S.  
मिसल नं. :: 24 / 2021

सरकार

बनाम

सुनिता आलड़िया पत्नि सुरेन्द्र,  
जाति-मेघवाल, निवासी- रामरख की  
ढाणी तन सेहीकलां

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 13.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थिति। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला सुनिता आलड़िया पत्नि सुरेन्द्र आलड़िया, जाति-मेघवाल, निवासी- रामरख की ढाणी तन सेहीकलां द्वारा राजस्व ग्राम खेड़ला की राजकीय भूमि ख.नं. 305 के कुल रकबा 0.18 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.02 है० भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायला के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के कृत् सं.....3 पर  
वर्ष 2021-22 में रुपये.....6/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)  
तहसीलदार, सूरजगढ़